न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-483RAAJodhpur2022-180RTA223 Bhomsingh Vs Smt. Bhanwari devi etc

भोमसिंह पुत्र श्री डूंगरसिंह जाति राजपूत, निवासी- ग्राम सिंहड़ा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री मूलचंद, जाति सुथार, निवासी- सिहड़ा, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।
3. शाखा प्रबंधक एक्सिस बैंक शाखा फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशन लाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 262/1 रकबा 7.3005 हैक्टेयर ग्राम नारायण हरि तहसील बाप के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तलबी हेतु भेजे गये सम्मन सिंदडा गांव जो तहसील शेरगढ में आया हुआ है, के प्रेषित किये, जबकि अपीलांट ग्राम सिहड़ा तहसील बाप का निवासी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की विधिवत तामील नहीं करवायी गई, जिससे अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त भूमि के संबंध में अन्य वाद भी लंबित है। मौके पर प्रत्यर्थी का कब्जा काश्त नहीं होने तथा खसरों में हिस्सो को लेकर भी विवाद होने के बावजूद भी तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को निरस्त किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश फरमावें तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिपेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन से तलब किया है, फिर भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्सो अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है। अपीलांट के हक-हिस्से में काई फेरबदल नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनो की सम्यक तामील उसके सही पत्ते पर करवाये बिना तथा उसे जवाब प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूल सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय मे समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/2022 भंवरी देवी बनाम भोमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 14 फरवरी 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.01.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर